

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5(यो)/एसीटीएडी/माडा/बहुउद्देशीय छात्रावास कोटा/12-13/

दि. 21/6/19

24831-43

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
कोटा।

विषय : बहुउद्देशीय जनजाति कन्या, छात्रावास कोटा मे अतिरिक्त निर्माण एवं सुविधा विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22505-15 दिनांक 07.06.2019 के कम में बहुउद्देशीय जनजाति कन्या, छात्रावास कोटा मे निम्नलिखित सुविधा विकास कार्य की कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

क्र.स.	कार्य विवरण	तकनीकी स्वी. क एवं दि.	राशि (राशि लाखों में)
1	CONSTRUCTION OF TUBE WELL AND COMMISSIONING OF SUBMERSIBLE MOTOR PUMP SET	532 / 13.06.2019	1.87
2	MAINTENANCE AND NEW WORK	531 / 13.06.2019	15.78
	TOTAL		17.65

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय बहुउद्देशीय जनजाति कन्या, छात्रावास कोटा के पूर्ण होने पर शेष रही बचत राशि में से होगा। यह राशि मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, कोटा के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है। प्रथम किश्त (स्वीकृत लागत की) राशि 80 प्रतिशत कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को उपलब्ध करावे।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।


(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

24831-43

क्रमांक यथोपरि/ ~~24817-29~~
प्रतिलिपि -

दिनांक : 21.6.19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, जिला उदयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी माडा जिला परिषद् कोटा।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, जिला बांरा।
7. वित्तीय सलाहकार/निदेशक मॉनिटरिंग/माडा प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. ~~कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।~~
9. अधीक्षिका, बहुउद्देशीय जनजाति कन्या, छात्रावास कोटा।
10. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in

Budget Ghoshna letter FS 2018